प्रेस विज्ञप्ति

22.11.2023

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी से संबंधित मामले में मेसर्स पुष्पांजलि रियल्म्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड के निदेशकों एवं अन्य के खिलाफ दिनांक 18.11.2023 को माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए देहरादून के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अभियोजन शिकायत (पी.सी.) पर संज्ञान लिया गया।

राजपुर पुलिस स्टेशन, देहरादून द्वारा दिनांक 08.07.2020 को मेसर्स पुष्पांजलि रियल्म्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ दर्ज की गयी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। इस एफआईआर में यह आरोप लगाया गया था कि मेसर्स पुष्पांजलि रियल्म्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड के निदेशकों के द्वारा निर्दोष फ्लैट खरीदारों से फ्लैट बुकिंग के लिये अग्रिम भुगतान लेने के बावजूद भी फ्लैट की डिलीवरी नहीं दी गयी।

ईडी द्वारा की गयी जांच में पाया गया कि कंपनी के निदेशकों द्वारा फ्लैट खरीदारों से फ्लैट बुकिंग के लिये अग्रिम भुगतान के रूप में प्राप्त की गयी राशी को अन्य कार्यो में उपयोग में लिया गया एवं इस धनराशी को निदेशकों द्वारा अपने तथा अपने परिवारजनों के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए उपयोग किया गया।

पूर्व में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई जांच के दौरान राजपाल वालिया, निदेशक, मेसर्स पुष्पांजलि रियल्म्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड और शेफाली वालिया को क्रमशः दिनांक 12.10.2023 और 23.09.2023 को गिरफ्तार किया था एवं दोनों इस समय न्यायिक अभिरक्षा में है। अवैध रूप से अर्जित ₹ 31.15 करोड़ की मेसर्स पुष्पांजलि रियलम्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड और उसके निदेशकों के नाम पर पंजीकृत अचल संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पहले ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क किया जा चुका हैं एवं माननीय निर्णयन प्राधिकरण द्वारा इसे कन्फर्म भी कर दिया गया है।

****